न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामूसिंह [illegible] बनाम [illegible]

दावा क्र.नं. - 85/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
25-8-2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने वादी नं 2 का लिखित [illegible] व [illegible] शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 25/08/21 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.03 12:11:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
85/2019	2019/238	29.08.2019	25.08.2021

उनवान प्रकरण

1. रामूसिंह पु. चन्द्रा राम उम्र 32 वर्ष
2. बाबूलाल पुत्र चन्द्रा राम उम्र 27 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

प्रतिवादी

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा एड0 – वादीगण की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– प्रतिवादी की ओर से

वाद पत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र बाबत घोषणा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 688 से 690 कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 हैक्टर व राजस्व ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1771 से 1778 कुल किता 8 कुल रकबा 9.02 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1761 से 17[illegible] कुल रकबा 8.740 हैक्टर अवस्थित है। जो वादीगण की पैतृम मौरूसी भूमियों [illegible] विरासत में प्राप्त हुई है परन्तु वरवक्त विरासत राजस्व कर्मचारियों [illegible] द्वारा वादीगण की विरासत दर्ज करते समय वादी नम्बर 1 का नाम रामसिंह व वादी न[illegible]र 2 का नाम पप्पूराम वरवक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.03 12:11:18 IST
Reason: SelfAttested

25/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

[illegible] दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा समस्त सरकारी दस्तावेजात् यथा शिक्षा रिकार्ड, वोटर आई.डी., आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड सभी दस्तावेजों में वादी नम्बर 1 का नाम रामूसिंह व वादी नं. 2 का नाम बाबूलाल दर्ज है जो सही एंव सत्य है। वादीगण को पूर्व में उक्त गलत इन्द्राज की कोई जानकारी नहीं रही, ना ही इसकी कोई आवश्यकता ही महसूस की गई परन्तु माह अक्टूबर 2018 में वादीगण ने किसान कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल, किसान कार्ड बनाने हेतु चाहा तो पटवारी हल्का द्वारा नाम गलत होने की जानकारी दी गई एंव न्यायालय में वाद दायर करवाकर नाम शुद्धि हेतु कहे जाने पर वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होने पर वादपत्र वादीगण के द्वारा वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादीगण के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 232/भू.अ./2020 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 308 में भूमि खसरा नम्बर 1771 से 1778 कुल किता 8 कुल रकबा 9.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1761 से 1770 कुल किता 9 कुल रकबा 8.74 हैक्टर में वादीगण का नाम पप्पूराम पुत्र चन्द्राराम व रामसिंह पुत्र चन्द्राराम जाति दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड आदि में पप्पूराम पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र चन्द्राराम व रामसिंह पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर रामूसिंह पुत्र चन्द्राराम जाति जाट सा. देह किया जाना प्रस्तावित किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर में पप्पूराम पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र चन्द्राराम व रामसिंह पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर रामूसिंह पुत्र चन्द्राराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। जिनकी तस्दीक वादीगण सा[illegible]पथ पत्रों रामूसिंह पुत्र चन्द्राराम, बाबूलाल पुत्र चन्द्राराम व वादी गवाह में [illegible] देवी पत्नि चन्द्राराम ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में वादीगण का नाम [illegible] जाने बाबत शपथ पत्र पेश किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.03 12:41:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

23/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमने वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 688 से 690 कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 हैक्टर व राजस्व ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1771 से 1778 कुल किता 8 कुल रकबा 9.02 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1761 से 1768, 1770 कुल किता 9 कुल रकबा 8.740 हैक्टर में वादीगण का नाम दर्ज रिकार्ड दर्शाया जाना त्रुटिपूर्ण है। जिसके लिए साक्ष्य वादीगण व गवाहान् द्वारा पेश शपथ पत्रों से भी पुष्टि होती है तथा वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्धि करना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र को न्यायहित में डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि के साबिक खसरा नंबर 688 से 690 कुल किता 3 कुल रकबा 2.57 हैक्टर व राजस्व ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1771 से 1778 कुल किता 8 कुल रकबा 9.02 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1761 से 1768, 1770 कुल किता 9 कुल रकबा 8.740 हैक्टर में वादीगण की खातेदारी में वादीगण का नाम पप्पूराम पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र चन्द्राराम व रामसिंह पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर रामूसिंह पुत्र चन्द्राराम शुद्ध किये जाने की राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.03 12:11:18 IST
Reason: SelfAttested

25/08/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी ... (सीकर)